

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उमवान

विद्युतमिटर राडोस बनाम 1. रणवीरसिंह पुत्री गणपतिसिंह राजपुर सा० मालकम
 2. विनोद कंवर पुत्री रणवीरसिंह राजपुर सा० मालकम
 3. रामकृष्ण शर्मा पुत्रवत्सल अग्रुपराष्ट्र ।
 4. शिवमान मरकर वंशीलाल भादरा


दाया बाबत :- 5. 2. 25. 19. 21

मुकदमा नम्बर :- 5. 4. 1. 25. 1. 21

निर्णय दिनांक :- 25. 11. 21

वादी की ओर से वकील मुन्शी रामा गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1. 2. 3. की ओर से वकील पुनर्जीत सिलारिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25. 11. 21 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा मालकम के खता सं० 81/9 के खसरा सं० 108 की 8.460 हेक्टेयर, खसरा सं० 142 की 4.755 हेक्टेयर, खसरा सं० 265 की 10.054 हेक्टेयर, खसरा सं० 269 की 4.161 हेक्टेयर, खसरा सं० 273 की 9.004 हेक्टेयर कुल खसरा 5 की 36.434 हेक्टेयर खसरा खसरेदारों में प्रतिवादी रणवीरसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खसरेदारों के हैं मे से वादी विद्युतमिटर राडोस, प्रतिवादी संख्या 1 रणवीरसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 विनोद कंवर को वादी का खसरेदार कारखाने घोषित किया जाते हैं। इसके माफिक शक्ति बौक के खत सं० वी खत मुम्ह हीन के उपरान्त उपरोक्त खसरेदारों के खसरेदारों में दर्ज कर रिकॉर्ड सुकृत किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
 यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25. 11. 21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)
 (फास्ट ट्रैक) R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़